प्राप्त पत्र – 225-1 / 13 मई 2010 — रवी मित्रा। / सी.ई.ओ. ... / 2 / 15.5.10

जिला पदाधिकारी ... समाहरणालय ... 13 MAY 2010 ... म0 प्र0

पत्रांक–नि०वि० / स्था०–178 / 10 2717

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

अशोक कुमार चौहान,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक 7-5-2010

विषयः– आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ करने के संबंध में।

महाशय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा पत्रांक–2324 दिनांक 10.07.07 के माध्यम से दिशानिर्देश दिया गया था कि आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरूद्ध समान आरोपों पर आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ समुचित तथ्यों पर आधारित विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जाय। लेकिन इधर कई मामले ऐसे देखने में आये हैं जिसमें आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में तो मामला दर्ज हुआ है लेकिन सूचना दिए जाने के बावजूद प्रशासी विभाग द्वारा या तो विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है या इसमें विलम्ब किया गया है।

भ्रष्टाचार या आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा भा०द०वि० की धाराओं के तहत् अपराध सिद्ध हो जाने के वाद सजा प्रदान करने संबंधी निर्णय नियमानुसार लिया जायेगा लेकिन यह भी स्पष्ट है कि सरकारी सेवकों को सेवा संहिता तथा सरकारी सेवा आचार नियमावली के प्रावधानों के तहत् दंडित करने की कार्रवाई सरकार के द्वारा ही अंततः की जानी है। भ्रष्टाचार एवं कदाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभागीय कार्यवाही का समयवद्ध संचालन आवश्यक है, ताकि दोषी सरकारी सेवक को त्वरित सजा दी जा सके, जिससे ऐसे कृत्यों के प्रति दूसरे सरकारी सेवकों में यह भाव पैदा हो कि आपराधिक कदाचार में लिप्त पाये जाने पर उन्हें न्यायालय द्वारा सजा दिए जाने में भले विलंब हो, सरकार के स्तर पर उन्हें तत्काल सजा मिलेगी।

D:/AMAR NATH/2010/APRIL/LETTER

यह विभागीय कार्यवाही स्वतंत्र रूप से चलाई जानी है तथा इसका आपराधिक कार्यवाही में सजा होने अथवा सजा मुक्ति से कोई संबंध नहीं होगा। यदि सरकारी सेवक आपराधिक कार्यवाही में सजा से मुक्त भी हो गया हो तो भी विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध होने पर सजा दी जा सकेगी या सजा कायम रखी जा सकेगी।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी अधीनस्थ कार्यालय प्रधानों को भी इससे अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

05/5/10

(अशोक कुमार चौहान)
प्रधान सचिव।